

17

उपायुक्त -सह- जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

पंचायत समिति सदस्य अपील वाद सं०- 01/2010

अनु देवी बनाम अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ एवं हाजरा खातुन

23/01/2016

आदेश

झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम 2001 की धारा 151(2) के तहत अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में पंचायत समिति सदस्य, निर्वाचन क्षेत्र सं०- 32, जवाहरनगर, निर्वाची पदाधिकारी, पंचायत समिति सदस्य, निर्वाचन 2010 रामगढ़ जिला के द्वारा दिनांक 09.12.2010 को घोषित परिणाम के विरुद्ध अपीलार्थी अनु देवी, पति- छोटे लाल, ग्राम- जवाहरनगर, थाना पतरातू जिला रामगढ़ द्वारा अपील दायर किया गया है।

दिनांक 07.05.2015 से अपीलार्थी लगातार न्यायालय में अनुपस्थित चले आ रहे हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि वाद के निष्पादन में उनकी रूचि नहीं है। साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2010 का कार्यकाल समाप्ति के पश्चात त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2015 का विधिवत चुनाव सम्पन्न हो चुका है तथा निर्वाचित सदस्यों का परिणाम घोषित हो जाने के फलस्वरूप उक्त वाद में दायर अपील का कोई औचित्य नहीं रह गया है। फलतः वाद की कार्रवाई निस्तारित किया जाता है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित।


उपायुक्त,
रामगढ़।


उपायुक्त,
रामगढ़।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

पंचायत समिति सदस्य अपील वाद संख्या-01/2010

अनु देवी बनाम अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ एवं हाजरा खातुन

आदेश की क्रम
संख्या
और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख

26/05/25

अभिलेख उपस्थापित।

पंचायत समिति सदस्य अपील वाद संख्या-01/2010 अनु देवी बनाम अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ एवं हाजरा खातुन में तत्कालीन पीठासीन पदाधिकारी द्वारा दिनांक-23.01.2016 को आदेश पारित किया गया है। अपरिहार्य कारणों से उक्त वाद का अंतिम पारित आदेश राजस्व न्यायालय के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। दिनांक-11.03.2025 को राजस्व से संबंधित कार्यों की समीक्षात्मक बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में वर्तमान पदस्थापित पीठासीन पदाधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से उक्त वाद में पारित अंतिम आदेश की प्रति राजस्व न्यायालय के पोर्टल पर अपलोड करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई करें।

Chanday
26/05/25
उपायुक्त,
रामगढ़।